



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5760/MH/17/2025-RU-1

दिनांक: 07.04.2026

सेवा में,

श्री विष्णु जगू पागी,
निवासी तहसील-वसई,
पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर,
महाराष्ट्र-401203


विषय: आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका द्वारा विकास हक प्रमाण पत्र (टी. डी. आर. प्रमाण पत्र) जारी नहीं करने के संदर्भ में श्री विष्णु जगू पागी एवं अन्य निवासी तहसील-वसई, पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401203 का अभ्यावेदन दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 20.04.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


1-4-26

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।